

Sc-10
16/4/12

In the High Court of Judicature at Patna
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012

Jaikant Poddar -----Petitioner.

Vrs.

The State of Bihar and others----Respondents.

Subject:- E.C. Act

Index

Pages

1. An application under article 226 of the Constitution of India. 1 to 10
2. Annexure-1.A Photo/type copy of the licence vide -11-17.
no.32/93 dated 16.7.1993.
3. Annexure-2.A Photo/type copy of the show-cause - 18-19.
contained in memo no.56-2 dated
18.1.2000.
4. Annexure-3.A Photo/type copy of the show-cause. - 20,
5. Annexure-4.A Photo/type copy of the order contained -21,
in memo no.102-2 dated 8.2.2000.
6. Annexure-5.A Photo/type copy of the Misc.Appeal - 22-26.
No.44/99-2000.
7. Annexure-6.A Photo/type copy of Misc.Appeal - 27-33.
No.57/03.
8. Annexure-7.A Photo/type copy of the memo no.298. 34-45.
dated 27.6.07.
9. Annexure-8.A photo/type copy of the operation - 46-47.
of the Govt. Pleader, Madhepura.
10. Annexure-9.A photo/type copy of the order dated - 48.
2.12.2011.
11. Vakalatnama,

3
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION CASE)

Jaikant Poddar Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others Respondents.

S Y N O P S I S

Prayer :

For quashing of the order dated 9.2.2000 contained in memo no.102-2 whereby the respondent no.5 cancelled the licence under Public Distribution system vide licence no.32/93 and also the order of respondent no.3 dated 2.12.2011 issued vide & D.B. No. 769 in appeal no. 57/2003.

Para -3 : Licence to the petitioner was issued vide no. Ann-1 32/93 dated 16.7.1993.
16.7.93

Para-5 : Show-cause case dated 56-2 dated 18.1.2000.
Ann-2

Para-6 : Reply to the show-cause .
Ann-3

Para- 7 : Licence was cancelled vide memo no.102-2 Ann- 4 dated 8.2.2000.
8.2.2000.

Para-8 : Appeal filed by the petitioner vide no. 44 of Annex-5 1999-2000 under section & 28 (1) of Bihar Control order before the respondent no.3.

: 2 :

Para-9 : Misc. Appeal 57 of 2003 dated 31.12.2003 for
Annex-6 restoration of licence.
31.12.2003

Para-10 : Inquiry report of respondent no.4 to
Ann-7 respondent no.3 dated 27.6.2007 contained
27.6.2007. in memo no.298.

Para-11 : Opinion of the Government pleader dated
Annex-8 20.7.2007.
20.7.2007.

Para-12 : Respondent no.3 passed final order dated
Annex-9 2.12.2011 in D.B. no. 769 rejecting his
2.12.2011. claim for restoration of his licence.

- Hence the writ application.

In the High Court of Judicature at Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012

In the matter of an application
under Article 226 of the Constitution
of India,

And

In the matter of
Jaikant Poddar son of Kankir Poddar ,resident of village-
Bhatrandha, Police Station-Ghailar, District-Madhepura.

-----Petitioner.

Vrs.

1. The State of Bihar
2. Commissioner-cum-Secretary, Department of Food and Civil
Supply, Bihar, Patna.

3. District Magistrate, Madhepura.
4. District Supply Officer, Madhepura.
5. Sub-Divisional Officer, Madhepura.
6. Assistant District Supply Officer, Madhepura.

-----Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the petitioner named above.

Most respectfully sheweth:-

1. That this is an application for issuance of a writ in the nature of certiorari to quash the order dated 8.2.2000 contained in Memo No. 102-2 issued under the signature of respondent No. 5 whereby and whereunder the licence under Public Distribution System vide Licence No. 32/93 was cancelled and also the order of respondent no. 3

dated 02.12.2011 issued vide D.B.NO.769 whereby the appeal vide 57/2003 was dismissed and for issuance of a writ in the nature of mandamus commanding and directing the respondents authorities to restore the licence of the petitioner and/or for issuance of appropriate writ/order/direction for which the petitioner is found entitled in the facts and circumstances stated hereinbelow.

2. That the Petitioner is a citizen of India and so he is entitled to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That it is stated that the petitioner was issued licence vide licence no.32/93 dated 16.07.1993 under the Public Distribution Scheme for distribution of controlled items.

A Photo Copy/Type Copy of the licence vide no.32/93 dated 16.7.1993 is annexed herewith as Annexure-1 which forms part of this application.

4. That it is stated that after issuance of the said

licence, the Petitioner started distribution of the controlled items as provided for from time to time in the service area to the satisfaction of all concerned consumers. It is further stated that there was no grievance against the petitioner.

5. That it is stated that it is alleged that during inspection of respondent no.6 the shop of the petitioner was found closed and also there were grievances of the public that he had not distributed Kerosene Oil. For that allegation a show-cause notice was issued to the petitioner by the respondent no.5 vide its memo no.56-2 dated 18.1.2000.

A Photo copy/Type copy of the show-cause dated 18.1.2000 contained in memo no.56-2 is being annexed herewith as Annexure-2 which forms part of this application.

6. That it is stated that the Petitioner filed his show-cause before the respondent no.5 for consideration by explaining the circumstances.

A Photo/type copy of the show-cause is

being annexed herewith as Annexure-3 which forms part of this application.

7. That it is stated that the respondent no.5 had cancelled his licence vide its order as contained in memo no.102-2 dated 8.2.2000 without considering the facts and circumstances as explained in his reply of the show-cause.

A Photo copy/Type copy of the order contained in memo no.102-2 dated 8.2.2000 is annexed herewith as Annexure-4 which forms part of this application.

8. That it is stated that after cancellation of his licence the Petitioner filed a Misc.Appeal vide its no.44 of 1999-2000 under section 28(1) under Bihar Control Order before the respondent no.3 for redressal i.e. restoration of his licence but there was no order in the abovesaid Miscellaneous Appeal.

A Photo/Type copy of the Miscellaneous

Appeal No.44/99-2000 is being annexed
herewith as Annexure-5 which ~~form~~ forms
part of this application.

9. That it is stated that being aggrieved of non-action upon the Miscellaneous Appeal, the Petitioner filed an appeal vide Misc.Appeal No.57 of 2003 dated 31.12.2003 against the order as contained in annexure-4 for restoration of his licence.

A Photo/Type copy of Misc.Appeal No.57/03
is being annexed herewith as Annexure-6
which forms part of this application.

10. That it is stated that the respondent no.3 sought inquiry report from respondent no.4 vide memo as contained in D.B.No.358 dated 30.12.2006 and in response thereto the respondent no.4 submitted inquiry report vide memo no.298 dated 27.6.2007.

A Photo/Type copy of the memo no.298 dated
27.6.07 is being annexed herewith as

Annexure-7 which forms part of the writ application.

11. That the respondent no.3 has also sought ^{Opinion} ~~operation~~ of the Government Pleader of the district of Madhepura in this regard and the same was submitted by him on 20.9.07.

A Photo copy of the operation of the Government Pleader of Madhepura dated 20.7.2007 is being annexed herewith as Annexure-8 which forms the part of this application.

12. That it is stated that the respondent no.3 passed the final order on ~~3.12.2011~~ 2.12.2011 and the same was communicated to the petitioner vide D.B.No.769 dated 24.12.2011 rejecting his claim for restoration of the licence.

A Photo copy of the order dated 2.12.2011 as contained in D.B.No.769 dated 24.12.2011 is annexed herewith as Annexure-9 which forms the part of this application.

13. That it is stated that the order of the respondent no.3 dated 2.12.2011 is passed without consideration of the report of respondent no.4 and also the opinion of the Government Pleader of the district but it is passed in arbitrary manner.

14. That it is stated that the respondent no.3 did not consider the sentiment of the public as contained in the report of the respondent no.4.

15. That in the background of the facts and circumstances stated hereinabove, the petitioner has not got any other equally efficacious and alternative remedy than to move this Hon'ble Court by way of the instant writ application for redressal of his grievance.

16. That the Petitioner has not filed any other writ application than the instant one for the relief sought for in this writ application.


It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to admit this application

-9-

issue rule NISI calling upon the respondents to show-
cause as to why a writ in the nature of certiorari
be not issued for quashing the order dated 8.2.2000
contained in memo no.102-2 issued by the respondent
no.5 whereby and whereunder the licence under Public
Distribution System vide licence no.32/93 was
cancelled and also the order of respondent no.3
dated 2.12.2011 issued vide D.B.No.769 dated
24.12.2011 whereby appeal vide no.53/03 was dismissed
and for issuance of a writ of mandamus commanding and
directing the respondents to restore the licence of
the petitioner and on return of rule and such cause
as may be shown and after hearing the parties be
pleased to make absolute in favour of the petitioner
in the aforesaid terms

And/or

be pleased to pass such other order/orders as Your
Lordships may deem fit and proper.
And for this, the Petitioner shall ever pray.



-10-

Affidavit

I, Jaikant Poddar aged about 52 years, son of Late Kankir Poddar, resident of village-Bhatrandha, P.S.-Ghailar, District-Madhupura, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the same.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood the same.
3. That the statements made in paragraph nos. 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16. ----- are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 3, 5, 7, 10, 11, 12/4, --- are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true/photostat copies of their respective originals.

अनुसूची-1

प्रारूप "अ"

भाग-4(1)(ग) के लिए

बिहार व्यापारिक (अनुशासन एकीकरण)

आदेश, 1984

अनुशा-पत्र

(1) अनुसूचित संख्या- 32/93

थोक/खुदरा

(11) वास्तव संख्या-4

तारीख- 18-7-93 द्वारा निश्चित प्रतिलिपि

संख्या- सां० 257-00 का सा पवास स्मृति मात्र ।

(111) व्यापारी का नाम, बागीचारी, यदि कोई हो तो साथ- । श्री
जयचन्त घोषुदार 2 पिता लीर घोषुदार सा० भातरंधा ताला परमानन्दपुर
ग्राम पंचायत भातरंधा अंचल मधुपुरा ।

निर्देशन तथा शर्तें

1- बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुशासन एकीकरण) आदेश, 1984 के
उपसर्गों तथा इस अनुसूचित के हम किंधों तथा शर्तों के अन्वय में ही
संबंधी जयचन्त घोषुदार का निम्न वर्णित व्यापारिक वस्तुओं का रूप, चित्र एवं
भाषाकरण के लिए उसे द्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

थोक विक्रेता के रूप में

खुदरा विक्रेता के रूप में

(1)

(1) वास्तव

(2)

(2) किरासन तैल

(3)

(3) बोनी

- 2 -

(4)

(4) निर्दिष्ट वस्तु

(5)

(5) भोज्य तेल

2(क) अनुसूचितधारी, पूर्वविल व्यापारिक वस्तुओं का कारवार निम्नलिखित स्थान पर करेगा:-

भातरंधा पंचायत के लिये

(ख) उन व्यापारिक वस्तुओं का जिनका कि पूर्वविल कारवार किया जाता है, भाण्डारण निचे वर्णित गांवों से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जावेगा.

<u>गाँव</u>	<u>काला</u>	<u>छोसरा</u>	<u>रक्वा</u>	<u>बाहूदी</u>
भातरंधा	131 (न०)	10588 (न०)	0-0-3 डि०	उ०- सड़क द०- विन्धी पादव पु०- डामी मुछिया प०- सड़क

टिप्पणी:- यदि अनुसूचितधारी का आज्ञाप व्यापारिक वस्तुओं का भाण्डार उपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थान पर करने का हो तो उसमें उन व्यापारिक वस्तुओं के भाण्डारण से 72 थर की कालावधि के अन्दर अनुसूचित प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना देगा। वह उपर वर्णित सूचना देने से एक पचावार के अन्दर अनुसूचित प्राधिकारी से समझा अनुसूचित पेश करेगा ताकि उसमें अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके।

3(क) अनुसूचितधारी पेशा । वर्णित व्यापारिक वस्तुओं के लिए प्रारम्भ"ब" में निर्दिष्ट लोगों का एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्न लया सही

- 3 -

बताये जायेंगे-

- (I) प्रत्येक दिन का प्रारम्भिक स्टाक,
- (II) प्रतिदिन प्राप्त मात्रा, वह स्थान जहाँ से और वह सीमात जिससे प्राप्त हुई
- (III) प्रतिदिन परिवर्तित या अन्यथा हटाई गई मात्रा गतव्य स्थान बताते हुए,
तथा
- (4) प्रत्येक दिन का अंतिम स्टाक ।

स्पष्टीकरण:- अनुसूचितकारी विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के लिए एकाधिकार स्टाक रजिस्टर रखा जाएगा और प्रत्येक व्यापारिक वस्तु के लिए पृथक-पृथक पृष्ठ आवंटित कर लेंगे।

(क) किन्तु छााधान, बी बी एवं वनस्पति के छुदरा विक्रेता के लिए छााधान व बी बी एवं वनस्पति का स्टाक पंजी संधारित करना आवश्यक नहीं होगा ।

(ख) अनुसूचितकारी टेलिफोन पर या विन्डी के माध्यम से या अन्यथा व्यापारिक वस्तुओं के क्रय या विक्रय के संबंध में किये समस्त संव्यवहार स्टाक रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा। यदि क्रय की गई व्यापारिक वस्तुओं अनुसूचितकारी द्वारा जारी व्यवहार करने का तरीका तब वस्तुतः प्राप्त नहीं होती है तो स्टाक रजिस्टर में इस निमित्त एक टिप्पणों अंतिम लिखित की जावेगी ।

(ग) विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं का मात्रा स्टाक रजिस्टर में निम्नलिखित अनुसार प्रविष्ट की जाएगी ।

-4-

(I) खाद्यान्न चीनी, तथा दालें - विवंटला या किलोग्राम में

(II) खाद्य तेल - पीपा/किलोग्राम में/लिटर में

(III) कपास विवंटला या किलोग्राम में ।

(धा) अनुसूचितधारी जब तक पुनितपुनित हेतुंक से निवारित न हो जिसे सावित कर करने का भार उसी पर होगा स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन की प्रविष्टियाँ अधिक से अधिक अगले दिन का सेव्यवहार प्रारंभ करने से पूर्व पूरी कर ले गा ।

(ड0) कोई अनुसूचितधारी, स्वयं खाद्यान्नो केसहेना का उत्पादक ह, स्वयं के उत्पादक के स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में अलग से अलग दर्शात करेगा यदि ऐसे स्टॉक का भाण्डारण उसके कारवार परिसर में किया जाता है।

4- अनुसूचितधारी, उस आदेका किया आवश्यक वस्तुओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति अन्य किसो विधो के उपबन्धो का उत्तेक्षा नहीं करेगा ।

5- अनुसूचितधारी :- ऐसे कोईसेव्यवहार नहीं करेगा जिसमें व्यापारिक वस्तुओं का सट्टे कर ऐसी नीति से जो बाजार में उनका प्रभाव वाणी रजान पर तथा आसानी से उनकी उपबब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेन वाली हो, क्रय, विक्रय भाण्डारण अन्तर्निति है।

(I) किसी व्यापारिक वस्तु को कीमते तथा स्टॉक की सूची में ऐसी वस्तु के संबंदा में अनिर्दिष्ट कीमत से उच्चतर कीमत पर न लेा लेगा और न लेा बेचने का प्रस्ताव करेगा।

(II) विक्रेयार्थ रखी गई व्यापारिक वस्तु को कीमते तथा स्टॉक की सूची

- 5 -

में विनिर्दिष्ट कीमत पर किसी व्यक्ति को बेचने से इन्कार नहीं करेगा तथा

(111) व्यापारिक वस्तुओं के खण्ड 18 के अधीन जिन सीमाओं से अधिक स्टॉक को अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

6- अनुज्ञप्तिधारी बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य एवं स्टॉक प्रदान) आदेश 1977 तथा उसमें सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये संशोधनों के अनुसार हिन्दी में विभिन्न वस्तुओं का स्टॉक एवं मूल्य व्यापार परिसर या उसके सन्निकट दृश्य स्थान प्रदर्शित करेगा।

7- अनुज्ञप्तिधारी व्यापारिक वस्तु के प्रत्येक ग्राहक के स्वयं का तथा अनुज्ञप्ति संख्या, ग्राहक का नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या (यदि कोई हो) स्वयं व्यापार की तारीख, विक्री न मात्रा तथा प्रभारित कीमत का उल्लेख करने हुए पत्र या स्थित एक नगद पत्र तथा बीजक जारी करेगा। वह उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्रधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायी जायेगी परन्तु किसी बूझरा विक्रेता के लिए किसी व्यापारिक वस्तु के संख्या में लिखी कीमत 10 रुपये से अधिक न हो तो ऐसा कोई नगद पत्र या बीजक जारी करेगा या एसी कोई दूसरी प्रति रखना आवश्यक नहीं होगा जबकि ग्राहक द्वारा उसकी माँग न की जाय।

8- अनुज्ञप्तिधारी कारोबार से संबंधित ऐसा सूचना जिसकी उससे माँग की

जाय सही-सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो समय-समय पर अनुज्ञापन- अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा दिया जाय ।

9- अनुज्ञापिकाधीन किसी भी दुकान गोदाम या अन्य स्थानों पर चिकना उपभोग वह भंडारण विक्रय या क्रयके लिए करता है अपने स्टॉक तथा लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए तथा खाण्ड । में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं की परीक्षा हेतु उनके नमूने ले लेने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी को सभी पुत्रितपुत्रित स्मयों पर समस्त सुविधा देगा ।

10- अनुज्ञापिकाधीन ऐसे किसी निर्देश का पालन करेगा जो उसे इन व्यापारिक वस्तुओं के क्रय विक्रय तथा विक्रयार्थ भंडारण के संबंध में और उस भाषणा के संबंध में जिसमें रजिस्टर विवरणों रसोदे दे या वीजक लिखे जायेंगे तथा उपर परा 3 में वर्णित रजिस्टर के अण्णिप्रमाणित , तथा ऐसे रखाने के संबंध में राज्य सरकार या कंसल्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिया जाय ।

11- अनुज्ञापिकाधीन अपने कारोवार के संबंध में ऐसे निर्देशों का जो उस दशा में जबकि वह किसी विनिमित बाजार में तुल्य करता है अधिकारिता रखाने वाले विपणन पदाधिकारी द्वारा उसे दिए जाय तथा किसी अन्य दशा में ऐसे निकाय द्वारा दिए जाय जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके निमित मान्यता प्रदान की गई है पालन करेगा ।

12- प्रत्येक अनुज्ञापिकाधीन यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा

-7-

कि उसके द्वारा बाजार में रखी गई व्यापारिक वस्तुएं उचित स्थिति में रखी हैं तथा भूमि का नशा तथा बर्तन, कृत्रिम विद्युत आग तथा ऐसे ही अन्य कारणों से वस्तुओं को खाने वाली से बचाया जाता है। अनुसन्धायी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उर्वरक कीटनाशक औषधियाँ तथा विशुद्ध रसायनिक पदार्थों का जिससे ऐसी वस्तुओं के सूखने खाने से बचाया जा सकता है, बाजार में उन्हीं गोदामों में इन वस्तुओं के साथ या व्यापारिक वस्तुओं के साथ टिक सन्निहित सही किया जाता है।

13- अनुसन्धायी ग्राहक या व्यापारी को व्यापारिक वस्तुओं का क्रय या विक्रय उसी मात्रा या वजन तथा उसी कीमत के अनुसार करेगा जो आवंटक/पैकेज पर अंकित है, किन्तु यदि केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा कोई सीमा अनुसन्धि है तो अंकित मात्रा या वजन में धटना दिया जायेगा।

14- यह अनुसन्धि नवीकरण के आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।

15- यह अनुसन्धि 31 दिसम्बर 1953 तक विधिमान्य होगी।

स्थान- मधोपुरा

तारीख --

(अनुसन्धायी प्राधिकारी)

ह0/अस्पष्ट

6-11-93

अनिस्वर-2

कार्यालय- अनुमंडल पदाधिकारी, मधोपुरा

तापार्क 564 /दिनांक 18-1-2000

प्रेषित:- श्री अकालत पोद्दार को वि० प्र० वि०, ग्राम पैवायत भातरथा प्रकाण्ड
धौलाढ (मधोपुरा)

विषय:- स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में ।

आपके द्वारा दिनांक 7-1-2000 को लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात् उदाहृत किये गये 1740 लीटर वि० तेल का भंडार स्थापन हेतु दिनांक 9-1-2000 को 1-30 बजे अपराह्न में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधोपुरा द्वारा आपके व्यापार परिसर का भ्रमण किया गया एवं आज उपस्थित पाये गये, दुकान बंद पायी गई तथा दुकान के समक्ष सूचना पर प्रदर्शित नहीं था। आपके व्यापार परिसर के भ्रमण के क्रम में उपस्थित सम्बद्धा उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गई एवं लिखित वधान दिया गया, कि आप उन्हें तीन बार माह पर कि० तेल/घी नी बर्गरह दिया करते है। कुछ सम्बद्धा उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें माले की गई कि उन्हें आपके द्वारा कि० तेल, घीनी एवं लाधान की आपूर्ति कभी भी नहीं कि जाती है। आपके यह कार्य मनमाने एवं धीर अनियमितता का धोका है जो दण्डनीय अपराध है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्त के तीन दिनों के

अन्दर ह: माह का भंडार पैकी वितरण पैकी, कैसा मेमा बी०पी०एल० पैकी

-2-

सहित प्रेषित गये उपरोक्त विन्दुओं पर स्पष्टीकरण के साथ समर्पित करें अतथा
आपकी अनुसूचित निशानित कर दी जाएगी ।

हो/अस्पष्ट

17-1-2000

अनुमंडल पदाधिकारी,

मध्यपुरा ।

अन्तर-3

सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,

मधोपुरा।

विषय:-स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महोदय,

श्रीमान् के अंक 56-2 दिनांक 18-1-2000 के द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण है कि दिनांक 7-1-2000 के मेरे द्वारा 1240 लीटर किरासन तेल का उठाव थोक विक्रेता के गहाँ से किया गया एवं गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों द्वारा अत्यधिक दबाव देने के कारण मेरे द्वारा थाना प्रभारी धौलाढ एवं मुखिया तथा अन्य ग्रामीण सदस्य के समक्ष ग्रामीण उपनिवेशों के बीच विचारित माता में उचित समय पर विवरण दिया गया। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन की इस स्पष्टीकरण के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे उपर लगाये गये इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

इस स्पष्टीकरण के साथ विगत छः माह का सभी जगजात की अवलोकन हेतु मेरे द्वारा जमा किया जा रहा है।

श्रीमान् का विश्वासभावनाजन

हो/अस्पष्ट

जयकान्त पौद्दार

जो वि० प्र० विक्रेता भोतरधा प्रखण्ड-धौलाढ।

अनुसूचक-4

कार्यालय, अनुसूचक पदाधिकारी, मधोपुरा

आदेश

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधोपुरा द्वारा जाँच के दौरान पाई गई भारी अनियमितता के आलोक में श्री जयकान्त पौद्दार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत भातरंधा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा से परे एवं भ्रामक पाये जाने के फलस्वरूप सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधोपुरा के अहसा के आधार पर श्री जयकान्त पौद्दार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत भातरंधा के आज निर्गत अनुसूचित संख्या-32/93 के तात्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

अनुसूचक पदाधिकारी,
मधोपुरा।

सं.सं. 102-2 /दिनांक 8-2-2000

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, मधोपुरा को सूचनाार्थ ।

प्रतिलिपि डीपी अधीक्षक, भागो छागो नि/सहायक गोदाम व्यवस्थापक, राज्य छांधानियम/थोक किरासन तेल विक्रेता, मधोपुरा /प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मधोपुरा/श्री जयकान्त पौद्दार, ग्राम पंचायत भातरंधा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

हो/अस्पष्ट

8-2-2000
अनुसूचक पदाधिकारी, मधोपुरा ।

अनुसूचक-5

नयापताल में,

जीवान् विद्या पदाधिकारी, मधोपुरा।

मिस० अपीस सं० 44/99-2000 ई०

संदर्भ- कि जाकान्त पोद्दार अन वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत भारंथा
थाना धौसाद जिला मधोपुरा के संस्था में।

जाकान्त पोद्दार पे० कनकीर पोद्दार सा० भारंथा थाना धौसाद जिला
मधोपुरा ----- आवेदक

आम

बिहार सरकार -----प्रतिवादी

आवेदन तरफ से आवेदक जाकान्त पोद्दार अन वितरण विक्रेता
भारंथा थाना धौसाद जिला मधोपुरा कारले अन्तर धारा
28(1) क बिहार कन्ट्रोल अडिअर के दाहिल कर नम्र निवेदन इस
प्रकार करते हैं:-

- 1- कि आवेदक एक भारंथा पंचायत थाना धौसाद जिला मधोपुरा के
अन्तर्गत अन वितरण विक्रेता है।
- 2- कि आवेदक सभी आवश्यक वस्तु का आवंटन उठाकर आज तक अपने पंचायत
के विक्रेताओं के बीच वितरण करता रहा है।
- 3- कि आवेदक के विरुद्ध आज तक किसी उम्मीदता में कोई शिकायत
नहीं किया है।

- 2 -

- 4- कि आवेदक माह जनवरी 2000 का किरासन तैल 1740 लीटर दिनांक 7-1-2000 को उठाव किया तथा उसका वितरण थाना प्रभारी परमांदपुर एवं मुखिया तथा ग्रामीणों के समक्ष किया है। जिसका हस्ताक्षर आवेदक के किरासन तैल खापार पंजो पर दर्ज है।
- 5- कि आवेदक को अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा के शाषण-56(2) दिनांक 18-01-2000 स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश मिला जिस आवेदक ने 21-01-2000 को अनुमंडल आपूर्ति जालखा मधोपुरा में समर्पित किया।
- 6- कि आवेदक ने अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया कि आवेदक के द्वारा उठाये गये 1740 लीटर किरासन तैल का वितरण किया गया यह लिखा है।
- 7- कि आवेदक के विरुद्ध सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधोपुरा के द्वारा जांच 9-1-2000 को 1-30 बजे अपराह्न में किया गया जो सत्य से प्रष्ट है।
- 8- कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधोपुरा दिनांक 9-1-2000 को शाषण 17 दिनांक के अन्तर्गत निरीक्षण किया और उन्हें पता चला पहुँचते-पहुँचते पाँच गैलन का मिला था।
- 9- कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के जांच के क्रम में जिन उपभोक्ताओं में आवेदक के विरुद्ध शिकायत की है जो आवेदक के दफ्तान से संबंध उपभोक्ता नहीं है।
- 10- कि शरार 6 माह से घी नी, खाधान तीन माह चार माह के बाद ही

- 2 -

एक माह का उभाव हो पाता है इसमें प्रतिमाह उपभोगता को देना संभव नहीं है।

11- कि अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा ने आवेदक के स्पष्टीकरण को सही ढंग से अवलोकन नहीं किया।

12- कि आवेदक को पत्रांक 102(2) दिनांक 8-02-2000 के द्वारा आवेदक के दूकान को रद्द कर दिया गया।

13- कि आवेदक निम्नलिखित कारणों से अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा आवेदक दिनांक 8-2-2000 के विरुद्ध अपना अपील श्रीमान के न्यायालय में दाखिल करता है।

1- कि अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा का आवेदक दिनांक 8-2-2000 न्याय के दृष्टिकोण से गलत है।

(II) कि आवेदक के भाण्डार पंजी का अवलोकन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया जिस भाण्डार पंजी को आवेदक ने अपने स्पष्टीकरण केसाथ-साथ आपूर्ति कार्यालय में जमा किया।

(III) कि आवेदक के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया हुआ है कि भाण्डार पंजी पर आपूर्ति कार्यालय प्रभारी परभारनंदपुर एवं दुखिया भांडार पंजी के समक्ष सही ढंग से वितरण किया जा रहा है। भाण्डार पंजी पर किया हुआ है।

(IV) कि अनुमंडल पदाधिकारी ने आवेदक के अनुसूचित संख्या- 32/93 को रद्द

कर दिया है जो आवेदक को चिन्ता सुनिश्चित किया गया है तथा श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश एकतरफा है।

5- आवेदक को जो आदेश सापांक 102-2 दिनांक 8-2-2000 को दिया गया है वह आदेश विस्तृत मूल है क्योंकि आदेश में कोई आरोप स्पष्ट नहीं है।

6- अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा ने अपने आदेश में सहायक पर कार्यवाही, क्रिये है तथा अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा के नियमों का पालन नहीं किया है।

7- कि आवेदक फरवरी माह 2000 का शी. विचारण सेवा का उदाव किया है तथा उसका वितरण भी उपभोक्ताओं के बीच किया है जिस पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भंडार सत्यापन तथा वितरण आदेश किया है।

8- उपरोक्त कारणों से यह अपील आवेदक को वा खिल करने का जरूरत पड़ा है:

अतः श्रीमान् से निवेद है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधोपुरा का आदेश सापांक 102-2 दिनांक 8-2-2000 को उद्घृत किया जाये तथा अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा से रिकार्ड को मंगवाकर अवलोकन किया जाये तथा विचार कन्ट्रोल आरि (अनुचित एकीकरण 1984) के धारा 2(4) के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा के आदेश को स्थगित कर आवेदक के आवेदन को पूर्ववत् वातु रखा जाय। इसके लिये आवेदक श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

७७/अस्पष्ट
अपकान्त पोट्टदार
द्वारा- अधिवक्ता
जनित कुमार ७-3-2000

संलग्न आगोवातः -

- 1- अनुमंडल पदाधिकार के शापांक 102-2 दिनांक 8-2-2000की जायाप्रति
- 2- स्पष्टीकरण दिनांक शापांक 56-2 दिनांक 18-1-2000 की जायाप्रति ।
- 3- आवेदक द्वारा दिये गये जवाब दिनांक 21-2-2000 की जायाप्रति ।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सभी कागजातों को देखा है तथा अपील का आवेदन तयार किया है तथा अपील को मैं वही के समय साबित करूंगा।

ड०/अस्पष्ट

अधिवक्ता, मधोपुरा ।

6-3-2000

Annexure-6

In Put up before the learned
The Court of collector, Collector, Madhepura on
Madhepura. 06.01.04

SD/-Illegible.

Misc.Appeal No.57 of 03. I/C.Legal Magistrate,
31.12.

Jaikant Poddar vrs. S.D.O.Madhepura, For State.

In

The matter of cancellation order dated 08.02.2000 of
learned by the then S.D.O.-cum-License authority, Madhepura in
regard of Licence No.32/93 of Fair Price Shop.

The humble appeal Memorandum on behalf of above
named appellant is being filed most respectfully
begs to submit as follows:-

1. That, the above named appellant dealer was a licensee
of Fair Price Shop of Foodgrains Bhatrandha Parmanandpur
Panchayat recent P.S.Ghailadh old P.S.-Madhepura, District-
Madhepura under Public Supply Scheme of Bihar and the Licence
No.32/93 was in his name.
2. That, at the complain of consumers of above named
Panchayat against above named appellant dealer learned by the

then S.D.O.cum-Licence authority handed over mentioned direction to by then A.D.S.O.to submit the report with regard to the complain of consumers of above named panchayat.

3. That,having been received the letter from aforesaid competent authority the above said A.D.S.O.visited the above named panchayat and established relation with the complainant consumers of above named panchayat in the absence of above named appellant dealer while he was seriously engaged in to the treatment of serious illd sons at Madhepura.

4. That,thereafter above said A.D.S.O.completed his enquiry and submitted his mentioned report to above said authority stating that above named appellant dealer had not supplied the ration to his consumers from several months along with above named dealer was suffered from black marketing also.

5. That,thereafter perusal of the report of by the then A.D.S.O.the S .D.O.(by the then) cum Licence authority passed his order to aforenamed appellant dealer to submit his show-cause for rebuttal of submitted report.

6. That aforesaid S.D.O.-cum-Licence authority perused the report of aforesaid A.D.S.O. and show-cause of above named appellant dealer declared the submitting report fully satisfactory. Hence having perused the ins and out of the submitted report and show-cause the learned by the then S.D.O.-cum-Licence authority declared the licence no.32/93 of above named appellant dealer fit to be cancelled. In his way the above learned S.D.O.-cum-Licence authority completed his finding and cancelled the licence no.32/93 which was in the name of above named appellant dealer.

Being aggrieved by the cancellation order of learned by the then S.D.O.-cum-Licence authority the above named appellant dealer files this appeal memorandum to call for the L.C. record to revive the dated 08.02.2000 cancellation order which was given for licence no.32/93.

(1) For that, having been biased the learned by the then S.D.O.-cum-licence authority cancelled the licence no.32/93 of

above named appellant dealer in the absence of duly service of notice.

(ii) That, a inspite of finding the unsatisfactory report but one and satisfactory show-cause, the learned by the then S.D.O.-cum-licence authority has passed his order for cancellation the above mentioned licence which does not neither supported the natural justification nor act of supply.

(2) For that, at the direction of learned by the then S.D.O.cum-licence authority by the then same A.D.S.O.submitted his contrary report to the above named appellant to above named competent authority and the same A.D.S.O.at the order of (D.S.O.)Madhepura submitted his assertive report i.e. which is in favour of above named appellant dealer and which is annexed with the L.C.record as on dated submitting 23rd. April, 2000.

(3) For that, one Chhedi Rishideo consumer whose named as a anti-consumer in the first report, which shows that first submitted report was quite false, because in second report and is submitted consumers petition by above named appellant

dealer, the above named consumer made his signature in favour of above named appellant dealer and also several consumers signature in favour of abovenamed appellant dealer are present in above submitted petition, which is annexed with memorandum.

(4) For that, second submitted report of by the then A.D.S.O. rebutted the first submitted report who is proved as same the appointed enquiry officer, which report is still closed with L.C. record and is filed in S.D.O.-cum-licence authority offices, Madhepura.

(5) For that, being taken above described favourable points above named appellant dealer was doing correspondance with the help of application to competent authorities but the competent authorities could not pay their needs towards the corresponded petition.

(6) For that, at last at the order of learned collector, Madhepura dated 12.12.2003 the above named appellant dealer is filing his appeal memorandum in Honble Court of collector

So that above named appellant dealer would be got revival order for his cancelled licenced.

(7) For that, above named appellant dealer present, his prayer to learned court to condone his appeal Memorandum licence since date of cancellation of his licence the above named appellant dealer with competent authorities had been remained in correspondance for revive his the cancelled licence and above named appellant dealer could not file his appeal in t ime due to his illeteracy and his guided by some politician of the society.

Therefore, in such above facts and circumstances it is prayed to your honour humbly would be pleased and pass your honour above order to revive the cancelled licenceno.32/93 dated 08.02.2000 which would be honourished the early act and natural justifications also for the ends of justice.

For this the above named appellant dealer will pray to God for your long life.

Appellant,
sd/-Illegible.

sd/-Illegible.
Advocate.

Verification

I, Jaikant Poddar son of Kankat Poddar, got read over the appeal memorandum and make my signature on apposite part of this appeal memorandum.

Verified thisday at Madhepura on 31.12.2003.

Signature/Illegible.

Appellant.

Advocate.

Sd/-Illegible.

Advocate.

31.12.2003.

True Copy of Amcane-7.

अनिसत्रर-7

समाहरणा लय मधोपुरा

(आपूर्ति हा.हा.)

पत्रांक 29e/

प्रेषक:- जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधोपुरा ।

सेवा में,

उप समाहर्ता,

विधि हा.हा., मधोपुरा ।

मधोपुरा, दिनांक 27 जुन 2007 ई०

विषय:- समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधोपुरा के न्यायालय में चल रहे
विविधा वाद सं० 57/03 जयकान्त घोषदार बनाम अनुमंडल पदाधिकारी
मधोपुरा में जांच प्रत्येदन का प्रेषण।

प्रसंग:- डी० बी० नो क्र० दिनांक 30-12-06

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधोपुरा के
न्यायालय में चल रहे विविधा वाद सं० 57/03 जयकान्त घोषदार बनाम अनुमंडल
पदाधिकारी, मधोपुरा से संबंधित स्थानीय जांच अंतिमकारि द्वारा किया
गया स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी ।

जांच के क्रम में ग्राम पंचायत भारंथा परमानुर के विभिन्न टोलों के
ग्रामीणों से कुछ ताह की गयी। कुछ ताह के क्रम में सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा अपना

-2-

हस्ताक्षर/अंगूठे का निहान नुबत अपना लिखात वपान समर्पित किया जा इसके साथ दूर में संलग्न है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उन्हें श्री यशकान्त पोद्दार डी.ए. से कोई हिकायत नहीं है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि श्री पोद्दार के द्वारा हर महीने खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही थी। इनकी अनुसूचित रद्द होने से आम उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है। सभी उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में बताया कि इनकी अनुसूचित पुनर्जीवित होने से आम उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। सभी उपस्थित ग्रामीणों ने श्री पोद्दार के रद्द अनुसूचित को पुनर्जीवित करने का भी अनुरोध अपने रिजिस्ट्रार वपान में किया है।

जाँच के क्रम में श्री यशकान्त पोद्दार पूर्व डी.ए. से भी पुछताक की गयी श्री पोद्दार द्वारा लिखात स्म से बताया गया कि कुछ असमाजिक तत्व पसंद व्यक्त उनके विरुद्ध गलत आवेदन दे दिया था जिस कारण मेरी अनुसूचित रद्द कर दिया गया था।

निष्कर्ष: आसुरीय ग्राम गायक बाहुत ग्राम उषा कुं अपराधी वरिष्ठ के नाम उषा लगातार हत्यारों भरो सालों से हो रही है श्री पोद्दार एक तरीके व्यक्त है। बाग पकौड़ी केकर इसका परिवार चलता है उक्त ग्राम के दादा लोग

मुफ्त में किरासन तेल एवं खाद्यान्न वसुलते थे सामर्थ से बाहर होने पर उसने सामग्री देने से इनकार कर दिया फलतः इसके विरुद्ध गलत आवेदन देकर अनुसूचित

-3-

पदाधिकारी का गलत तथ्य प्रस्तुत पर श्री पोद्दार के अनुसूचित का रद्द करा दो
थी श्री पोद्दार का परिवार एवं वच्चे पेटेहाल की जिन्दगी बिता रहे है आम
उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये लिखित व्या। एवं उनके अनुरोध एवं उन्हें हो रहे
कठिनाई का ध्यान में रखते हुए श्री जयकान्त पोद्दार की रद्द अनुसूचित संख्या-
32/93 को पुनर्जीवित करने पर विचार किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

६०/७०

20-06-07

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधोपुरा ।

हम सभाने ग्रामीण जनता जीर्णोपाग्राम पैदापत भातराधा परमानपुर सही सही बधान करते है कि जो वि० प्रणाली विक्रता जयकांत पोद्दार से हमलोगों का शिकायत नहीं है जयकांत पोद्दार की दुकान अब काबरेत था तो हमलोगों का सही सही साधान एवं खिरासन तैसकी आपूर्ति हर माह नियमित रूप से करते थे उन्हो अनुकृष्टि पुनः निरखन करने से हम सभाने ग्रामीणों को सुविधा होगी, हम सभाने ग्रामीण उनको अनुकृष्टि निरखन मुक्त करने का अनुरोध करते है:-

मिथी लाल पादव

ह०/अस्पष्ट

- 1- ह०/अस्पष्ट
- 2- शिव शंकर पादव
- 3- सुरेन्द्र पादव
- 4- नि० तेष भा०
- 5- अज्ञात पादव
- 6- नि० विजय पादव
- 7- नि० सावित्री देवी
- 8- विरेन्द्र पादव
- 9-
- 10- नि० बाबा दास देवी
- 11- नि०
- 12- नि० अस्पष्ट
- 13- नि० अस्पष्ट
- 14- नि० अस्पष्ट
- 15- नि० शिव नारायण पादव
- 16- नि० बाकू पादव

-5-

- 17- नि० उपेन्द्र पादव
- 18- इन्दू पादव
- 19- कुशीश्वर पादव
- 20- निशांत
- 21- नि० तिरवेनी सादा
- 22- नि० कारिसादा
- 23- नि० उपेन्द्र सादा
- 24- नि० मा० चम्पा देवी
- 25- नि० सुरेश पादव
- 26- नि० संशा पादव
- 27- नि० विठ पादव
- 28- हरराम पादव
- 29- निशांत
- 30- नि० हनुवर पादव
- 31- नि० आवेश पादव
- 32- नि० सुगत पादव
- 33- नि० देवी पादव
- 34- नि० शृंगील पादव
- 35- सुखीलाल पादव
- 36- नि० अस्पष्ट
- 37- वन्देश्वरी पादव
- 38- सही नि० कारी सादा
- 39- सही नि० भाविष्या देवी
- 40- विद्या सादा
- 41- सही नि० चन्द्रिका देवी
- 42- अस्पष्ट
- 43- देवी सादा

-८-

- 44- सही मि०
 45- पुलकित प्र० मेहता
 46- मि० रामवली पादव
 47- डॉ०/अस्पष्ट
 48- सुहादेव पादव
 49- मि०
 50- मि० प्रभु पादव
 79- मि० सुखी लाल पादव
 80- मि० बाभू मेहता
 81- मि० कारी मेहता
 82- डॉ०/पान सुंदर मेहता
 83- मि० सही शिवनाथ मेहता
 84- सही मि० मंत लाल मेहता
 85- सही मि० मंती मेहता
 86- सही मि०
 87- डॉ०/रावली पादव
 88- सही मि० अस्पष्ट (राभू)
 89- डॉ०/बहर पादव
 90- डॉ०/सिधाराग सादा
 91- डॉ०-पतीदेवपादव
 92- डॉ०-खान पादव
 93- डॉ०-बाभू पादव
 94- डॉ०-दशरथ पादव
 95- डॉ०-र अन्त पादव
 96- डॉ०/अस्पष्ट पादव
 97- डॉ०/कपडा पादव
 98- सही- मि० नारायण पादव

- 99- ह०/मोहाण पादव
- 100- सही नि० जेकृष्ण देव पादव
- 101- ह०/कन पादव
- 102- ह०/सुहाकर पादव
- 103- ह०/योगेन्द्र पादव
- 104- सही नि० लक्ष्मी पादव
- 105- सही नि० कर्मोदी पादव
- 106- सही नि० दुर्गा देवी
- 107- सही नि० कमल सादा
- 108- सही नि० जीतिया देवी
- 109- सही नि० मोक्ष विजयो देवी
- 110- सही नि० किसन ठाकुर
- 111- सही नि० विद्या सादा
- 112- सही नि० सुहाकर सादा
- 113- ह०/अरुण पादव
- 114- ह०-हीरा पादव
- 115- ह०/अनिल पादव
- 116- सही नि० खाटर पादव
- 117- सही नि० बिधारी मेहता
- 118- सिकन्दर मेहता
- 119- स्वामी रघुनी मेहता
- 120- ह०/सुन्दर मेहता
- 121- ह०/नागेश्वर मेहता
- 122- सही नि० विद्या मेहता
- 123- सही नि० अश्विन मेहता
- 124- सही नि० रूपाक्षि मेहता
- 125- सही नि० धामेश्वर मेहता

धीरपा वाडे नं० 10 आर 9 के जासुडपा

- 126- सही नि० सुविता देवी
- 127- सही नि० अम्बा देवी
- 128- सही नि० उषा सादा
- 129- सही नि० रजिपा देवी
- 130- सही नि० गुजन पादव
- 131- सही नि० शंभू पादव
- 132- सही नि० अर्गा सादा
- 133- सही नि० श्याम सुन्दर सादा
- 134- सही नि० शंकर सादा
- 135- सही नि० हित सादा
- 136- सही नि० कुमाष्ठा मेहता
- 137- सही नि० जनिष्ठा सादा
- 138- डॉ/मणेश प्रसाद मेहता
- 139- सही नि० देवी सादा
- 140- सही नि० सुशील सादा
- 141- मनु रजक लक्ष्मी नि०
- 142- सही नि० सुविता देवी
- 143- डॉ/विष्णु पादव
- 144- सही नि० जैन रजक
- 145- सही नि० शिवी रजक
- 146- डॉ-राज किशोर पादव
- 147- सही नि० उषा रजक
- 148- सही नि० सुदु ज्यो देवी
- 149- सही नि० ज्योत्स्ना रजक
- 150- सही नि० उम्बा देवी
- 151- सही नि० दिशा रजक
- 152- सही नि० विष्णु पादार

- 153- सही नि० सखदेव रजक
- 154- सही नि० पवन रजक
- 155- सही नि० ज्योति रजक
- 156- सही नि० संजना देवी
- 157- सही नि० धौली साह
- 158- सही नि० बिजनाथ साह
- 159- गणेश रजक सही नि०
- 160- करपुत्र रजक सही नि०
- 161- सही नि० जगदीश रजक
- 162- सुनील रजक सही नि०
- 163- सही नि० डोमी रजक
- 164- सही नि० देवनी देवी
- 165- सही नि० माया देवी
- 166- सही नि० पुत्रा देवी
- 167- सही नि० कारी देवी
- 168- सही नि० दुष्टान रजक
- 169- सही नि० सिपाराम रजक
- 170- सही नि० रामनाथ देवी
- 171- सही नि० रथुनी रजक
- 172- सही नि० पत्नीदा देवी
- ल०/पोरी पादव
- 173- सही नि० सिफत रजक
- 174- सही नि० राम बहादुर रजक
- 175- सही नि० सिकंदर रजक
- 176- ल०/हाकर पादव
- 177- ल०/शमिठू पादव
- 178- ल०/बिलाहा पादव

- 10 -

- 179- डॉ/शिवजी पादव
- 180- डॉ. सत्य नाठ पादव
- 181- डॉ/धुंटर साह
- 182- डॉ/मठर साह
- 183- डॉ/दु साह
- 184- डॉ/वन्देव र पादव
- 185- लीरा पादव
- 186- डॉ/गुपेन्द्र पादव
- 187- सही नि० रेणु देवी
- 188- उनीला देवीसही नि०
- 189- सही नि० गीता देवी
- 190- सही नि० द्रौपदी देवी
- 191- सही नि० श्यामा देवी
- 192- सही नि० अरहुत देवा

राम खोलाज न प्र० पादव

बसुआधा टोला वार्ड नं० 8

225 बाधा हार्मा टोला सम्पूर्ण

वार्ड नं० 7

उत्तरी व सैद्या- 500

- 193- डॉ/सुरेश प्र० पादव
- 194- डॉ/खरिन्द्र कुमार पादव
- 195- डॉ/साखी पादव
- 196- रमेश पादार
- 197- डॉ/महराज पादार
- 198- डॉ/धर्मेन्द्र पादार
- 199- डॉ/वीरक पादार
- 200- अमरनाथ पादार

- 11 -

- 201- डॉ/रागनाथ पोदार
202- डॉ/बम पोदार
203- डॉ/निरा पोदार
204- डॉ/लिरिजेणो पोदार
205- सही नि०
206- सही नि०
207- डॉ/मिहू शर्मा
208- डॉ/कारो शर्मा
209- डॉ/सुखन मुखिया
210- सही नि०
211- डॉ/ब्रह्म मुखिया
212- सही नि०
213- डॉ/सुरेश साह
214- सही नि०
215- सही नि०
216- सही नि० मंजू देवी भातरंधा धाट
217- सही नि० माया देवी
218- सही नि० विलसनी देवी
219- सही नि० बनीता कुमारी
220- सही नि० रोखिया देवी
221- सही नि० अरुण देवी
222- सही नि० सुमिया देवी
223- सही नि० दुसंधार प्रसाद
224- सही नि० लक्ष्मी देवी

एवं सुखन मुखिया

डॉ- जय नारायण पोदार

डॉ- उमेशा पोदार

225- सही नि० नारायण साह

-12-

- 226- सही नि० मंगोपा देवी
227- सही नि० जनिता देवी
228- सही नि० सुमन साह
229- सही नि० दामन सादव
230- सही नि० सखेव रफ़
ह०- रवानाद पादव
ह०- सैफ पादव
231- सही नि० जनार्दन साह
232- सही नि० लुछिया देवी ।

जीनसूचक-8

नयापलात,

समाजसुचक मधीपुरा

विविधा वाद संख्या 57/03

जयकांत पोद्दार जनाम अनुसूचित पदाधिकारी, मधीपुरा ।

विषय:- उपर्युक्त वाद में सरकारी अधिवक्ता का मतवा ।

महाशय,

मैंने विधि वाद संख्या 57/03 का अवलोकन किया जिससे वस्तुतः स्थिति -
- ति इस प्रकार स्पष्ट हुई कि श्री जयकांत पोद्दार ग्राम भारंधा के जय वितरण
प्रणाली के अनुसूचितधारी थे । कुछ लोगो ने उनके विरुधा एक आवेदन श्रीमान
अनुसूचितधारी मधीपुरा के पास दिया कि श्री जयकांत पोद्दार के साक्षि
का रद्द किया गया । श्रीमान अनुसूचितधारी ने उस आवेदन पर साक्षितीन
आपूर्ति पदाधिकारी से प्रतिकेदन प्राप्त किया एवं उसी आधार परभी जयकांत
पोद्दार के जयवितरण प्रणाली को अनुसूचित का रद्द कर दिया। उसी आदेश के
विरुधा श्री जयकांत पोद्दार ने उपर्युक्त विविधा वाद दापर किया है।

इस वाद में महाशय द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्रतिकेदनकी मांग
की थी जिन्होंने अपना प्रतिकेदन समर्पित किया है जिन्होंने स्पष्ट किया है कि
ग्राम भारंधा का जयवाहुण गांव है तथा श्री जयकांत पोद्दार का जयवाहुण
जयुत कम है एवं गरीब आदमी है तथा उस गांव के कुछ दादा गरीब करने वाले लोग

- 2 -

मुद्रत में निरासन तैल एवं छाया की बसुली करते थे । सामान्य से बाहर जाने पर श्री जयकान्त पोद्दार उन्हें सामान देना बन्द कर दिया तो उन लोगों ने गलत आवेदन देकर उनके लार्जिन्स को रद्द करवा दिया। पुनः जिला आपूर्ति पदा० ने यह भी प्रतिक्रिया किया है कि ग्राम भातरंधा के विभिन्न टोलों के लोगों ने पुनः ताड़ किया तो स्टां ने एक स्वर से पछी कहा कि श्री जयकान्त पोद्दार बहुत अच्छे क्लिअर थे तथा वे को उचित स्म से सामान वितरण करते थे । इसके अतिरिक्त आम जनता द्वारा उनके पास आवेदन भी दिया गया कि श्री जयकान्त पोद्दार को अनुश्रुति को पुनर्जीवित किया जाय। अतः वर्तमान जिला आपूर्ति पदाधिकारी का यह मतव्य है कि श्री जयकान्त पोद्दार के अनुश्रुति को रद्द आदेश को समाप्त करते हुए उनके अनुश्रुति को पुनर्जीवित किया जाय।

इस मामले में यह भी स्पष्ट हुआ कि श्री जयकान्त पोद्दार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं हुआ है।

इस सारी वस्तुस्थिति को देखते हुए मेरा मतव्य है कि श्री जयकान्त पोद्दार को वितरण प्रणाली अनुश्रुति के रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए उनके अनुश्रुति को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

ह०/अस्पष्ट

20-9-07

सरकारी अधिकायता ।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, मधेपुरा।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति अपील ताद सं०-57/2003 जयकान्त पौद्दार बनाम
राज्य

02-12-2011

आदेश

सभी तथ्यों की जाँच पड़ताल और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक द्वारा किरासन तेल वितरण में घोर अनियमितता की गई है। कई कई महीनों से किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया है। 07-01-2000 को 1740 ली० तेल का भी वितरण नहीं कर इसे कालाबाजारी किया गया। अतः 1740 लीटर तेल के बराबर की राशि की वसूली लाईसेंस प्राईस पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदक का अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का आवेदन खारीज किया जाता है।

ह०/-

समाहर्ता, मधेपुरा।

डी०बी०नं० 769 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 24/12/11

प्रतिलिपि : निदेशानुसार (वापी) श्री जयकान्त पौद्दार, पे० श्री पञ्जवीर पौद्दार, सा० भतरंधा, थाना घैलाढ़, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निम्न न्यायालय का अभिलेख/ कागजात संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि तदनुसार अनवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।



प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।

24/12